—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव, (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 142/2018

उनवान

लाडू पुत्र गोमा जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नाहरा
2. उगमा पि. छोटू
3. पेमा पुत्र हरजी
4. रूकमा पत्नी हेमा
5. मीठु पुत्र हेमा
6. विजय सिंह उर्फ रणजीत पुत्र हेमा
7. देवा पुत्र हरजी
8. भंवरा
9. चतरा
10. भंवरी
11. कूकी पि. गोमा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
12. मैनजर स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा श्रीनगर, नसीराबाद
13. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

———— प्रतिवादीगण :— 1 से 12 अनुपस्थित
13 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 26.12.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फारकिया के वंर्किग खसरा नम्बर 391 रकबा 1—17—10 के हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 0.18, 416 रकबा 0.01 व 417 रकबा 0.11 की आराजी के तत्कालीन खातेदार हरजी, नाहरा, उगमा पि. छोटू व भंवरा पुत्र गोमा व रतनी पत्नी गोमा के द्वारा दिनांक 22.04.1992 को हक परित्याग दस्तावेज वादी लाडू पुत्र गोमा व प्रतिवादी संख्या 9 चतरा पुत्र गोमा के पक्ष में निष्पादित करवाया। परित्यागकर्ता हरजी की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस पेमा, हेमा, देवा हुये जिनमें से हेमा की मृत्यु हो गयी के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 7 है तथा नाहरा प्रतिवादी संख्या 1 है। उगमा प्रतिवादी संख्या 2 है। रतनी पत्नी गोमा की मृत्यु हो गयी के वारिस वादी है व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 है। भंवरा प्रतिवादी [illegible] है। उक्त आराजी का कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 9 के पास है। बंदोबस्त विभाग व राजस्व कार्मिको ने अपने अधिकार से परे जाते हुये आराजी मुतनाजा को [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम अंकित कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रति[illegible] आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 9 को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, परित्याग पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम फारकिया के वंर्किग खसरा नम्बर 391 रकबा 1–17–10 के हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 0.18, 416 रकबा 0.01 व 417 रकबा 0.11 की आराजी के तत्कालीन खातेदार हरजी, नाहरा, उगमा पि. छोटू व भंवरा पुत्र गोमा व रतनी पत्नी गोमा के द्वारा दिनांक 22.04.1992 को हक परित्याग दस्तावेज वादी लाडू पुत्र गोमा व प्रतिवादी संख्या 9 चतरा पुत्र गोमा के पक्ष में निष्पादित करवाया। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 338/319 में वंर्किग खसरा नमबर 391 रकबा 1–17–10 की आराजी हरजी, गोमा, नाहरा, उगमा पि. छोटू, भंवरा पि. गोमा के नाम खातेदारी दर्ज थी। गोमा पि. छोटू की मृत्यु होने पर उक्त आराजी जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 12 दिनांक 29.05.89 से रतनी पत्नी गोमा व भंवरा, लाडू, चतरा पि. गोमा के नाम दर्ज हुयी। मिलान श्रेत्रफल के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 391 रकबा 1–17–10 के हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 0.18, 416 रकबा 0.01 व 417 रकबा 0.11 बने है जो हाल जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त परित्याग पत्र पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पंजीबद्व परित्याग पत्र के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 भंवरी, कूकी पि. गोमा के नाम भी दर्ज है। किन्तु उनका नाम हाल राजस्व अभिलेख में उनकी माता रतनी पत्नी गोमा की विरासत से दर्ज हुआ है तथा उनकी माता रतनी पत्नी गोमा द्वारा अपने जीवनकाल में ही आराजी मुतनाजा का हकत्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने उपस्थित होकर प्रकरण का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का पंजीबद्व परित्याग कर कब्जा व दखल सौप दिये जाने से परित्यागकर्ता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दसतावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी है, जिस कारण उक्त आराजी पर ऋण भी प्राप्त कर लिया गया है। किन्तु भूमि का परित्याग पूर्व में हो जाने के कारण बैंक द्वारा दिया गया ऋण वादी के हितों पर बेअसर है। वादी व प्रतिवादी संख्या 9 चतरा पुत्र गोमा आराजी मुतनजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 0.18, 416 रकबा 0.01 व 417 रकबा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 9 को उक्त आराजी पर बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लाडू बनाम नाहरा

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 142/2018
पेश करने की दिनांक – 27.09.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 0.18, 416 रकबा 0.01 व 417 रकबा 0.11 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 9 को उक्त आराजी पर बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 12 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद